

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम रामपुरा रेलवे के खाता सं. 14, 15 खसरा नं. 7/3, 264/2, 265/2, 267/2, 315/3 में आवेदन 321/3 पत्र अनुसार कजोड पुत्रलादिचा के लिये पर कजोड पुत्रलाडु शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम ERC ग्राम पंचायत साँडी में दिनांक 28/3/25 को सजमेआम में सुनाया गया।



28/3/25

सफखण्ड अधिकारी
फागी, जिला- (जयपुर)